

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

समस्त पर सम्बन्ध कुलपति जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही विद्या यारे न
कि विद्यार्थी अपने विद्यालयी के नाम से,
सम्बन्धित विषय पर वही पूर्ण ने पर
व्यवाहार हुआ हो तो वह उन्नांक एवं विद्यार्थी
अधिक विद्या यारे विद्यालयी होना ही।



फ़ाक्स : ०७५१-२३४१८९६
फ़ॉक्स : ०७५१-२४४२८२९
फ़ॉक्स : ०७५१-२३४१७६८

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
न्यालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4947

दिनांक: 28/05/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बद्ध के एफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, गुरु गुरा का बाबा, न्यालियर (0751-2401011) को सत्र 2011-12 के लिये प्रसारित/संचालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, एवं बी. पाठ्यक्रम बाबा/ग्राम्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी जिटीक्षण समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत जिम्मानुसार

- (1) प्रो. डी.ए. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. न्यालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर।
- (3) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

जिटीक्षण समिति के सदस्यों ने अनुरोध हो दिया है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सुन्तुष्ट, घोरोंट राशि, वाणिज्य और विद्यालयीक स्टॉक, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुशंसा/अवाप्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किवील तथा पिछले सत्र में दी गई शतांकों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सीक्षणिक एवं अहोलिक स्टॉक की विद्युतिकार्यों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर जिटीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विद्यार्थित रूपरूप में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकार विरीक्षण ग्रामीणी / संयोजक का होगा।

जिटीक्षण समिति नज़र का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की जई देही के लिए महाविद्यालय नवां उत्तराधिकारी होगा। विरीक्षण कूपका आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। वाटी महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति खल्का विरीक्षण करावेगी और पुक्का विरीक्षण समिति नज़र के दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परता ही विरीक्षण समिति का पुर्वजल किया जावेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विद्या यारों को प्रवेश देना अवैधिक है,

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला जो कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासकी लेकर जावेने तथा महाविद्यालय की देना।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संयोजक महाविद्यालय की ओर भेजकर आव्वन है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधार्थित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्वालियर

मनसा पर अपनार तुलसापेह लीलामी
लीकलिंगमान के नाम है तो फिर उन्हें त
भूमि भूमि अब अपनिकरी के नाम है।
मनसामान विषय पर यहि दूर्ज ने पर
व्यवहार दूरा है तो यह व्यापक एवं सिनेक
अपना निकाल जाएं फिरहो तुलिपा है।



समय : गुरुवारी
दृष्टिकोण : (0751) 2341895
/(0751) 2442822
फँस्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :
तुलसापेह,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ब्वालियर

क्रमांक/एक/सम्बन्धता/2009/ ५१७४

दिनांक: 13/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्वालियर दो सम्बन्ध के एस. बुध और कॉलेजेचा, गुडी गुडा का नाम, लश्कर, ब्वालियर (0751-24401011) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.सी.ए., बी.बी.ए., एवं बी.एस.-सी. गाड़ियोबायोलॉजी, वायोटेक्नोलॉजी यात्र्यक्रम कक्षा/यात्र्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपाठी मठोद व/स्थायी लमिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्तन नियमानुसार नियीकण समिति का गठन किया है :-

जी.वि.वि., ब्वालियर।

(1) प्रो. डी.एन. गोप्यानी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)

(2) डॉ. के.एस. बकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्वालियर।

(3) डॉ. एस.डी. सिसोदिया, उपाचार्य, पुस्तकालय अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्वालियर।

(4) डॉ. के.एस. बुर्जर, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्वालियर।

नियीकण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीकण कर शुल्क, घरेहर संपर्क, वार्षिक शैक्षणिक/अलैक्सप्रिक स्ट्रॉफ, प्राविहृत संस्था से प्राप्त अनुशंसा/अनुशासनित प्रमाण-पत्र, भवन, छोड़ा परिवहन एवं पाठ्यक्रम/आर्किवेन्स तथा पिछले सत्र ने दी गई शर्तों की सूत्रित मय प्रमाण पत्र के तत्व प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अलैक्सप्रिक स्ट्रॉफ की विनियोजनों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसारे अकित ढें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष युवता पर ग्राप्त होने के 30 दिवान के अन्वर नियीकण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर नियीकण करायें। समिति संयोजक से नियोदय है कि वे उक्त विधायित समवय में नियीकण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवान में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियीकण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित नियीकण समिति / संयोजक का होगा।

समिति नवन का पत्र ग्राप्त होने के बाद नियीकण ने की गई देवी के लिए भगवान्यालय ख्यवं उत्तराधी होगा। जिसकी युवता आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। वहि भगवान्यालय 03 नाम में नियीकण बही कहाता है तो समिति ख्यवं विट्टत ही बाबूनी और पुरुष नियीकण समिति ग्राप्त हेतु भगवान्यालय को टप्प ख्यवलय रु. 25,000/- जमा करने जायें। तत्पश्चात् ही नियीकण समिति का युर्बंधन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता ग्राप्त किए विवा छव्वों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

नियीकण समिति के तात्त्व सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय राहायक प्रशासनी लेकर जायेंगे तथा भगवान्यालय की वस्तुविषयी से नियीकण समिति को अवगत करायेंगे। नियीकण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव भगवान्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्ध सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचायित भगवान्यालय की ओर गोजकर आग्रह है कि लांबिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियीकण दिनांक विधायित कर भगवान्यालय का नियीकण करायें। उक्त नियीकण 15 दिवान के अन्वर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्वालियर
5. कुलपाठी के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बन्धता)